न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 102/2019

1 झाबर पुत्र नन्दाराम जाति यादव निवासी ढ़ाणी बाढ़ावाली तन भादवाड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 उगमसिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत निवासी भादवाड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2 उप पंजियक खण्डेला जिला सीकर।
3 पटवारी हल्का भादवाड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
4 भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश दिनांक 20.11.2019
न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर.ए.एस. आवेदन
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
एवं 151 सीपीसी बउनवानी झाबर बनाम उगम सिंह
आदि मुकदमा नम्बर 130/2015 अपील अन्तर्गत धारा
225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति

1. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरजभान सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 10.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 130/2015 में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 112,122, 123,124,125 व 126 कुल किता 6 कुल रकबा 3.54 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 114 से 121 कुल किता 8 कुल रकबा 4.00 हैक्टेयर तन ग्राम भादवाड़ी बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र झाबर बनाम रामचन्द्र सिंह मुकदमा नम्बर 118/2003 लम्बित है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन भी विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। भादवाड़ी की उक्त भूमियों एवं अन्य भूमियां जिनके पुराने खसरा नम्बर 16 से 18,20,21 व खसरा नम्बर 30 से 36,145,157,573 से 575,670,671,679,698,702,786 व 787 जिसे बालसिंह काश्त करते थे व भागीदार थे व इनका पर्चा संवत 2025 तक सार्दुलसिंह, धोंकल सिंह, रामचन्द्र सिंह व उगम सिंह के नाम जारी किया गया था। कालान्तर में उक्त भूमियों का बेचान करते रहे व वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 30,31,32,33 की खातेदारी में सार्दुल सिंह व धौकल सिंह का नाम 2025 तक की जमाबंदी में सही अंकित रहा। वस्तुतः सार्दुल सिंह व बन्ने सिंह दोनो धौकल सिंह के लड़के थे व धौकल सिंह 1/2 के हकदार थे तथा खातेदारी में धौकल सिंह के नाम के साथ सार्दुल सिंह का नाम बतौर बड़े पुत्र के चलता रहा वादी/अपीलांट वर्ष 1973 में उक्त सार्दुल सिंह बने सिंह से 1/2

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हिस्सा में से 1/4 हिस्सा की भूमि उपरोक्त वर्णित भूमियों में से खरीद किया तथा कब्जा मौके पर सम्भलाया गया तब से काबिज काश्त होकर अपीलांट अपने खरीदाशुदा भूमि पर पुख्ता मकानात बनाकर कुआं बिजली हिस्सा अनुसार बना हुआ है तथा घरेलू विधुत कनेक्शन प्राप्त कर उपयोग व उपभोग कर रहा है। उसके बावजूद अदालत मातहत ने प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया कोई मामला सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के मापदण्ड नही मानते हुये तथा अप्रार्थी के पक्ष में मानते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवेदन धारा 212 गलत रूप से खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य की गलत व्याख्या की है। पक्षकारों के मध्य नामान्तकरणों की विभिन्न न्यायालयों में अपीले लम्बित है। अप्रार्थीगण ने पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.06.1973 को किसी भी न्यायालय से निरस्त नही करवाया है यह आज भी विद्यमान है। अपीलांट सदभावी क्रेता है। क्रय शुद्वा भूमि पर पुख्ता मकान बनाकर कुआं बिजली लगाकर आबाद है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों को नजर अंदाज कर विधि विरूद्व रूप से अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। विवादित भूमि के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को यथास्थिति के लिये पाबन्द किया हुआ है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट दिनांक 02.06.1973 के पंजिकृत विक्रय पत्र के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाह रहा है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.1961 की पालना में नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 27.05.1967 द्वारा अपीलांट के विक्रेता सार्दुल सिंह पुत्र धौकलसिंह का नाम जमाबंदी से हजफ किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 02.06.1973 स्वतः शून्य घोषित हो जाता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट दिनांक 02.06.1973 के पंजिकृत विक्रय पत्र के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाह रहा है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.1961 की पालना में नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 27.05.1967 द्वारा अपीलांट के विक्रेता सार्दुल सिंह पुत्र धौकलसिंह का नाम जमाबंदी से हजफ किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 02.06.1973 स्वतः शून्य घोषित हो जाता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की गई है।

यहां यह भी विचारणीय है कि उभयपक्ष विवादित भूमि के सन्दर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किये जाने के तथ्य को स्वीकार करते है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय से स्थगन जारी किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर